

राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राज0, जयपुर


क्रमांक: एफ4(11)उर्वरक/2004/ 8544
मै0 इनडोजापान एग्रोटच लि0,
100ए साइकिल मार्केट,
झण्डेवालान विस्तार
नई दिल्ली।

दिनांक: 27/7/04

विषय: धनज्जय आर्गेनिक मैन्योर के विक्रय के संबंध में।
प्रसंग: आपका पत्र दिनांक 29.7.04

उपरोक्त विषय में लेख है कि कम्पनी द्वारा स्वयं निर्मित उत्पाद धनज्जय आर्गेनिक मैन्योर का राज्य में विक्रय अनुमति चाही है।

निर्मित उत्पाद उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत नहीं आता है। विभाग द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार ही अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।


संयुक्त निदेशक कृषि(उर्वरक)